न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 25 / 2022

विनोद कुमार शर्मा एड0 पुत्र प्रभूदयाल हाल निवासी म0न015 केशवनगर भरतपुर जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, तहसील भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 19.04.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट विनोद कुमार शर्मा एड0 पुत्र प्रभूदयाल हाल निवासी म0न0 15 केशवनगर भरतपुर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 23.02.2022 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 194 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार भरतपुर से उनके पत्र कमांक / रीडर / आरटीआई / 2022 / 620 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / रीडर / आरटीआई / 2022 / 620 दिनांक 18.04.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 496 दिनांक 22.03.2022 से सूचना भिजवाई जा चुकी हैं। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर